(12) (21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी निग 749–तीन/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 08–04–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण 278/अपील/2010–11

विश्वनाथ कोल तनय कल्लू कोल
निवासी सायडिंग तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. शिवप्रसाद चौधरी तनय श्री रामाश्रय चौधरी
   निवासी बठिया खुर्द तहसील रघुरानगर
   जिला सतना म0प्र0
2. शासन म0प्र0 जरिए पटवारी हल्का बठियाकला
   तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेद कं 1

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 08–4–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा म0प्र0 शासन की भूमि का फर्जी पट्टा की जांच किये जाने हेतु कलेक्टर सतना के समक्ष शिकायत की तथा तहसीलदार रघुरानगर के समक्ष कार्यवाही हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–4–10 के द्वारा फर्जी पट्टरा पाये जाने से निरस्त किया और भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10–11–10 के द्वारा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक ने प्रचलनशीलता के बिन्दु पर तर्क किये। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 8–4–2011 से निगरानी प्रचलशील माना और प्रकरण गुण–दोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां 136 रकबा 1.80 तथा 154 रकबा 1.98 रिकार्ड में रास्ता की दर्ज भूमि को आवेदक विश्वनाथ कोल के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी जांच होने पर तहसीलदार ने परीक्षण उपरांत भूमि शासकीय घोषित की। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना सक्षम आदेश के उक्त भूमि आवेदक की मानी। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण में प्रचलनशीलता के बिन्दु पर जो

आवेदन प्रस्तुत किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि अपर आयुक्त के अंतिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1674–दो/2013 प्रस्तुत की गई है जिसमें अंतिम निराकरण हो गया है। अतः इस निगरानी का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। निगरानी 1674–दो/2013 का आदेश इस प्रकरण पर भी प्रभावशील रहेगा।

5/7/19.

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर